

pan>

Title: Introduction of the Neglected and Suffering Widows (Protection And Welfare) Bill, 2015.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समाज की जरूरतमंद, पीड़ित, परित्यक्त, निराश्रित वृद्ध या अशक्त विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपाय प्रारंभ करके ऐसी विधवाओं की सुरक्षा किए जाने और इस प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संगत और उसके आनुभांगिक विधायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of the needy, suffering, abandoned, destitute, old or infirm widows of the society by initiating welfare measures for such widows by the Central and State Government and for the establishment of an Authority for that purpose and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

15.57 ½ hours